

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

23219-23

गांधी विकिट्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल

क्रमांक /एमसी/एनएचएम(6)/2020

भोपाल, दिनांक 25/09/2020

// आदेश //

मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म0प्र0 के पत्र क्रमांक 10256/एनएचएम/ एचआर/2020/ भोपाल, दिनांक 05/08/2020 एवं आयुक्त विकिट्सा शिक्षा की पत्र क्रमांक 184/डीएमई/कोविड-19, दिनांक 27.07.2020 एवं सभागायुक्त भोपाल संभाग भापाल द्वारा पत्र क्रमांक 4017/विकास/2020/दिनांक 27.07.2020 के संदर्भ अनुसार कोविड महामारी की रोकथाम हेतु शासकीय गाँधी विकिट्सा महाविद्यालय भोपाल में नवीन ब्लॉक एवं टीवी हॉस्पिटल में 240 एवं 100 बिस्तर की नई ईकाई स्थापित करने हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन हेतु अस्थायी नियुक्ति अवधि दिनांक 30.09.2020 तक के लिये उपरोक्त अनुसार संशोधन कर जारी विज्ञापि क्रमांक 19261/अधि0/ एनएचएम(6)/2020, भोपाल, दि0 19.8.2020 पर एक्स रे टेक्नीशियन के 18 पदों के वाक ईन इन्टरव्यू में निम्नलिखित एक्स रे टेक्नीशियन का चयन कर नियुक्त किया जाता है।

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	पदस्थाना का स्थल
1	मनोज कुमार गुप्ता	स्व श्री शिव कुमार गुप्ता	हमीदिया रेडियोलॉजी विभाग
2	शरद परमार	श्री भाकर लाल परमार	हमीदिया रेडियोलॉजी विभाग
3	सुनील कुमार	श्री लक्ष्मण सिंह	हमीदिया रेडियोलॉजी विभाग
4	गौरव शिवहरे	श्री वल्लभदास शिवहरे	हमीदिया रेडियोलॉजी विभाग
5	विक्रम मालवीय	श्री मोतीलाल मालवीय	हमीदिया रेडियोलॉजी विभाग
6	राजकुमार ईवने	श्री किरणलाल ईवने	हमीदिया रेडियोलॉजी विभाग

सेवा शर्तें


1. उक्त पदों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी अधिष्ठाता, गाँधी विकिट्सा महाविद्यालय, भोपाल
2. यह सेवा पूर्णतः अस्थायी होगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में दिनांक 30.09.2020 तक के लिये ली जा रही है। अतः निर्धारित अवधि पश्चात् आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। तत्पश्चात् विना आदेश प्राप्त किये निरंतर कार्य पर चले रहने पर अभ्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी तरह के मानदेय के लिय प्राप्त नहीं होगा।
3. इन सेवाओं को नियमित अथवा सविदा सेवा के लिये किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जायेगा।
4. अधिष्ठाता, गाँधी विकिट्सा महाविद्यालय, भोपाल को समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ, अनुबन्ध एवं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध करा कर ही सेवाप्रदाता कार्य दायित्व संभालेगा।

2020.09.25 15:12

5 अनुबंध (रु 500/- स्टाम्प) निष्पादन करने वाला व्यय संबंधित सेवा प्रदत्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

6 किसी भी तरह की असत्य जानकारी अनुशासनहीनता और कार्यस्थल की गोपनीयता भंग करने पर या अपराधीक गतिविधि में लिप्त पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

7. उपरोक्त कर्मचारी अपनी उपस्थिती अद्योहरताक्षरकर्ता कार्यलय की एनएनएच शाखा में पत्र जारी होने के दो दिवस में अनुबंध और चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।

  
कार्यालय अधिष्ठाता एव मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल

प्रतिलिपी सूचनार्थ


23215-23

कमाक / एमसी / एनएचएम(6) / 2020

भोपाल, दिनांक 25/09/2020

प्रतिलिपी सूचनार्थ

1. मिशन सचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा रातपुडा भवन भोपाल
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाये, ग0प्र0 भोपाल
4. संभागयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल की और आपके सन्दर्भित पत्र के संदर्भ में।
5. अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सा भोपाल
6. ....संबंधित कर्मचारी
7. आदेश नस्ती

  
कार्यालय अधिष्ठाता एव मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल